विवरणी

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार पदमनाथ मिश्रा पिता- लोकनाथ मिश्रा को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के कोई भी उपस्थित नहीं हुआ द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम रेंगारबहार खाता सं० 100, रकबा - 2.28 एंवार्ष X का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

-2021

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया हे कि पंजी ii में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार खेसरा सं० दर्ज नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमाबन्दी रद् करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पदमनाथ मिश्रा पिता - लोकनाथ मिश्रा ग्राम - रेंगारबहार के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :–

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
रेंगारबहार	52	100	–	2.26 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
बोलबा

अंचल अधिकारी,
बोलबा

Digitally signed by Baliram Manjhi
Date: 2021.09.02 15:53:27 +05:30
Location: 192.168.9.65

Scanned with CamScanner